न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—102 / 2017 / 225(2017 / 00102)

1. करणसिंह पुत्र नारायण सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम चांदियावास, तहसील व जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर तह0 व जिला अजमेर ।
2. अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर जरिये सचिव / आयुक्त, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्या0), अजमेर , दिनांक 6.7.2016 अंतर्गत प्रकरण संख्या 104 / 2015.

उपस्थितः—

1. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील अपीलांटस ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री गिरीश पारीक, वकील रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः—13.03.2019

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्या0), अजमेर के आदेश दिनांक 6.7.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधी0न्याया0 में वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन भूमि जिसके चौसाला खसरा नंबर 307 रकबा 13—11—00 के वर्किंग खसरा नंबर 464 रकबा 13—11—00 के वर्तमान खसरा नंबर 574 रकबा 1.75 है0 बारानी प्रथम एवं वर्तमान खसरा नंबर 594 / 1362 रकबा 0.44 है0 बारानी प्रथम की भूमि जो कि ग्राम चांदियावास तहसील व जिला अजमेर में स्थित है जो कि वादी की बापोती खातेदारी की कृषि भूमि है किन्तु वर्तमान जमाबंदी में अपीलाधीन भूमि सिवायचक गलत दर्ज कर दी गई एवं वर्तमान जमाबंदी के अनुसार नामांतकरण संख्या 54 दिनांक 23.1.2014 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 के नाम भी गलत दर्ज कर दी गई । अतः वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने आदेश दिनांक 6.7.2016 द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 212 को निरस्त कर दिया। अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन भूमि अपीलांट की बापोती खातेदारी भूमि हैं । चौसाला जमाबंदी संवत् 2017 से 2020 के अनुसार भी वादी के नाम खातेदारी इंद्राज दर्ज है । सक्षम अधिकारी के द्वारा प्रकरण संख्या 7/1968 के अंतर्गत आदेश दिनांक 1.4.1969 के अनुसार वादी के पिता के पक्ष में नियमन की गई थी । अपीलांट बापोती समय से अपीलाधीन भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है । अधी0न्याया0 ने इन सभी दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि पूर्ववत् चौसाला जमाबंदी के अनुसार ही जमाबंदी में भू–प्रबंध विभाग, अजमेर को इंद्राज करना चाहिये था परन्तु भू–प्रबंध विभाग ने विधि के सिद्धांतों के प्रतिकूल जमाबंदी में जो इंद्राज सिवायचक एवं रेस्पो0 संख्या 2 के नाम किया गया है वह त्रुटिपूर्ण इंद्राज है । अधी0न्याया0 के समक्ष विवादित भूमि के संबंध में नियमित वाद के विचाराधीन रहते अपीलाधीन भूमि की रक्षा वांछित थी किन्तु अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र निरस्त करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 5.8.2016 नियत की गई थी किन्तु अधी0न्याया0 के द्वारा अपीलाधीन आदेश तारीख पेशी से पूर्व एवं अपीलांट को बिना सूचित किये अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.7.2016 को ही पारित कर दिया गया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश दिनांक 6.7.2016 को निरस्त किया जावे तथा अपीलांट का आवेदन पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 को स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निर्णय तक रेस्पोडेंटस को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ।

5. अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की पत्नि लंबे समय से अस्वस्थ्य होने से प्रार्थी अपने अधिवक्ता से संपर्क नहीं कर सका । दिनांक 23.4.2017 को अपीलांट ने अपने अधिवक्ता से संपर्क कर प्रकरण की जानकारी चाही तब ज्ञात हुआ कि प्रकरण का निस्तारण दिनांक 6.7.2016 को हो चुका है। इसके उपरांत अपीलांट ने अधी0न्याया0 के निर्णय की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन कर प्रतियां प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. जवाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है । अपीलांटस वर्तमान में विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं होने से किसी प्रकार की निषेधज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. रेस्पो0 संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने रेस्पो0 संख्या 1 की बहस का समर्थन करते करते हुए कथन किया कि विवादित भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रेस्पो0 संख्या 2 के नाम दर्ज है । रिकार्डेड खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

8. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना उचित

समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

9. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा सुनवाई की तारीख दिनांक 5.8.2016 नियत थी परन्तु दिनांक 5.7.2016 को दौराने कैम्प कोर्ट गेगल में पत्रावली रखी जाकर बिना जमाबंदी एवं राजस्व अभिलेख का अवलोकन किये एवं अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के प्रतिकूल है । अपीलाधीन भूमि चौसाला जमाबंदी संवत् 2017 से 2020 में अपीलांट के पिता नारायणसिंह पुत्र अर्जनसिंह के नाम बतौर गैर खातेदार दर्ज है इसके पश्चात् संवत् 2013 से लेकर 2066 तक गिरदावरी एवं खसरा परिवर्तनशील में अपीलांट के पिता का निरन्तर कब्जा काश्त दर्ज है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलाधीन भूमि पर नामांतकरण संख्या 165 अपीलांट के पिता नारायणसिंह के नाम दर्ज किया गया है । अपीलाधीन भूमि किस आदेश से सिवायचक दर्ज हुई इस संबंध में कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है एवं अधी0न्याया0 की पत्रावली पर अप्रार्थीगण का जवाब प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 भी प्रस्तुत नहीं हुआ है । अधी0न्याया0 द्वारा बिना जवाब लिये प्रकरण का जल्दबाजी में बिना राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किय निर्णय पारित किया है जो स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में नहीं आता है एवं न ही धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के तीन मुख्य घटक यथा प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के संबंध में निर्णय में कोई विवेचन ही किया गया है जिससे अधी0न्याया0 के निर्णय को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है ।

10. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

11. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश दिनांक 6.7.2016 खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का विवेचन कर प्रार्थना पत्र को गुणावगुण पर दो माह की अवधि में निर्णित करे तब तक उभयपक्ष विवादित भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

12. निर्णय आज दिनांक 13.3.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर